न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपील डिक्री/टीए/1818/2005/भरतपुर

1–मेवाराम
2–हरदेव
3–वीरीसिंह
4–पदमसिह पिसरान रूपसिंह
5–श्रीमती सरवती पत्नि रूपसिंह
6–हुकमसिह
7–जगदीप सिंह पिसरान निहालसिंह
8–सरनामसिंह पुत्र दामोदर सिंह
9–अंगूरी पुत्री रूपसिंह
समस्त जाति जाट निवासीयान ग्राम पथैना तहसील वैर जिला भरतपुर

–अपीलार्थीगण

बनाम

1–करतारसिंह पुत्र मंगलसिह जाति जाट निवासी ग्राम पर्थना तहसील वैर जिला भरतपुर

–प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री राजेश कुमार दडिया, सदस्य

उपस्थित–
श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक 03.12.2024

अपीलार्थीगण ने यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील संख्या–155/2004 बउनवान मेवाराम बनाम करतार सिंह में पारित एवं डिक्री निर्णय दिनांक 30–03–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रैस्पो0/वादी ने प्रतिवादी/अपीलांट के विरूद्ध एक राजस्व वाद सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी वैर के न्यायालय में अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् पेश कर कथन किया कि ग्राम पथैना तहसील वैर स्थित विवादग्रस्त आराजी खसरा नं0 67 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा भूमि पर वादी शांतिपूर्ण तरीके से काबिज काश्त है किन्तु प्रतिवादीगण/अपीलांट्स उक्त आराजी से बेदखल करने एवं आराजी को नाकाबिल काश्त बनाने की धमकी देते हैं। अतः प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुए जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने वादपत्र व जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित 08 तनकीयात कायम की। तत्पश्चात् उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरान्त उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय व डिक्री दिनांक 20–10–04 से वादी का वाद डिक्री करते हुए प्रतिवादी/अपीलांट्स को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादी ने भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–03–2005 के द्वारा खारिज कर दी। इसी निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील मंडल के समक्ष प्रस्तुत की।

3– हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता ने अपील मीमों में वर्णित तर्को की पुनरावर्ती करते हुए कथन किया कि वादी/रेस्पो0 को विवादग्रस्त आराजी बाबत् कभी भी वास्तविक रूप से दखल नहीं दिया गया तो उसका कब्जा होने का प्रश्न ही नहीं उठता है और वादी/रैस्पो0 को पट्टे की शर्त के अनुसार वास्तविक दखल व कब्जा नहीं मिला और निरंतर 10 वर्ष कब्जा नहीं होने से रैस्पो0 को कोई अधिकार हासिल नहीं हुए है। अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि जो व्यक्ति कब्जे में ही नहीं हो वह स्थाई निषेधाज्ञा का दावा नहीं कर सकता। आगे यह भी तर्क किया कि रैस्पो0 की आराजी कहां तक है और वह कितनी आराजी पर कब्जा करना चाहता है उसको स्वयं भी नहीं पता ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों ने वादी का दावा डिक्री करने में विधिक त्रुटि की है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

5– विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित खसरा नंबर 67 रकबा 26 बीमा 6 विस्वा में तीन खातेदार है। जिनमें 10 बीघा 13 विस्वा का वादी रेस्पोडेन्ट, 10 बीघा 13 विस्वा के सुन्दर सिंह जिस पर कोई विवाद नही है, 5 बीघा पर बैकुन्ठी वगैराह का जिसमें रेस्पोडेन्ट भी है, जिसका केवल 17 विस्वा है। अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों के बाद तनकीयात कायम की जिनमें तनकी 2, 3, 4 में भी हमने साक्ष्यों से सिद्ध किया है कि यह जमीन हमने पटटे पर दिनांक 21–05–1971 को खसरा नम्बर 67 में 10 बीघा 13 विस्वा अलग से आवंटन होकर पटटा ज़ारी किया गया था। गिरदावरी सम्वत 2047–50 में हमारा कब्जा काश्त दर्ज है। अपीलांट केवल 17 विस्वा के हकदार हो सकते है। इन्होने जवाबदावे में 5 बीघा भूमि मानी है तथा ज्यादा से ज्यादा इनका 17 विस्वा हो सकता है। इनकी दलीलों क्यास पर दी गयी है। अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय है जिनमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

6– हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड एवं पारित निर्णयों का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7– प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी करतारसिंह ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत प्रतिवादी मेवाराम वगैराह के विरूद्ध एक राजस्व वाद विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी वैर के न्यायालय में विवादग्रस्त आराजी खसरा नं0 67 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा भूमि बाबत् प्रस्तुत कर स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श–4 जमाबन्दी सम्वत् 2055 लगायत 2058 के अनुसार उक्त विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार वादी करतारसिंह दर्ज है। इसी प्रकार प्रदर्श–3 खसरा गिरदावरी सम्मव् 2056–2058 में वादी करतारसिंह जमबन्दी संख्या–51 रकबा 10बीघा 13बिस्वा, जमाबन्दी संख्या–738 रकबा 10बीघा 13 बिस्वा पर सुन्दरसिंह पुत्र लालचन्द एवं जमाबन्दी संख्या–405 रकबा 05बीघा

बैकुण्ठी वगै0 की काश्त गेहूं, ज्वार इत्यादि दर्ज है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट है कि वादी करतारसिंह विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार दर्ज होकर विवादित आराजी पर काबिज काश्त है। विचारण न्यायालय द्वारा इन्हीं दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर वादी का वाद डिक्री करते हुए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी प्रकरण के तथ्यों की विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए प्रतिवादी/अपीलांट की अपील को समवर्ती निर्णय से खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

8– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा हमारे समक्ष बहस के दौरान ऐसा कोई ठोस नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह माना जावे कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों के विपरीत तथा क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया हो। इस बाबत् विधिक स्थिति स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में कोई कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं हो, तो पारित निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने दस्तावेजी साक्ष्य के मद्देनजर विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जिसमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

9– परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील संख्या–155/2004 बउनवान मेवाराम बनाम करतार सिंह में पारित एवं डिक्री निर्णय दिनांक 30–03–2005 तथा विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी वैर द्वारा मूल वाद संख्या 260/2001 बउनवानी करतार सिंह बनाम रूप सिंह वगै0 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20–10–2004 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार दड़िया)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष